

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,

निदेशक,  
दिव्य ज्योती आई केयर एंड रिसर्च सेंटर  
सी/65 हनुमान नगर,  
एस०बी०आई०, पत्रकार नगर,  
पटना 800020

पटना, दिनांक....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 31.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	पुजा कुमारी पिता-राजेन्द्र साह ग्राम-पो०+थाना-बिहरा जिला-सहरसा	तेजाब पिड़ीत	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 45,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं० 211041 ..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 07.09.16

ज्ञापांक 1324(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.1.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 31.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अनीश कुमार पिता-संतोष कुमार ग्राम-परसा पो0-बहलोलपुर थाना-ढाका पी0एस0 जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-121978/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	गणेश सिंह पिता-स्व. लालु सिंह ग्राम-धनडीहा पो0+थाना-कोइलवर जिला-भोजपुर सीआरनं0-113375/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	अरुणा सिंह पति-स्व. सत्यदेव प्र० सिंह ग्राम-माछीडीह पो0-अमैया थाना-असरगंज जिला-मुंगेर सीआरनं0-31034/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	देव नारायण सुतिहार पिता-स्व. फेंकु सुतिहार ग्राम-बाघमारा पो0-परमानन्दपुर थाना-श्रीनगर जिला-मधेपुरा सीआरनं0-124628/16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

31/8/16  
6/9/16

5	रोहित कुमार पिता-हरिचन्द्र मुखिया ग्राम-पो0-भदहर थाना-के0 स्थान जिला-दरभंगा सीआरनं0-6459 / 15	किडनी रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
6	सुरजानन्द प्रसाद पिता-शत्रुघ्न साव ग्राम-पो0-ढोलबज्जा थाना-फारबीसगंज जिला अररिया सीआरनं0-91081 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
7	रूपेश कुमार पिता-बिजेन्द्र साह ग्राम+पो0-महुआ बाजार थाना-बसनही जिला-सहरसा सीआरनं0-11744 / 16	किडनी रोग	₹ 40,000 /-(चालीस हजार) स्वीकृत।
8	अंकित कुमार पिता-श्याम सुन्दर सिंह ग्राम+पो0-मुरौत थाना-रतवारा जिला-मधेपुरा सीआरनं0-92629 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
9	परमानन्द पासवान पिता-स्व. बालेश्वर पासवान ग्राम-गौरीपुर पो0-साफियाबाद थाना-नया रामनगर जिला-मुंगेर सीआरनं0-94433 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
10	जानकी देवी पति-दिनेश कुमार सिंह ग्राम-रैनी पो0-रुकुन्दीपुर थाना-दरौंदा जिला-सीवान सीआरनं0-79711 / 14	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
11	बिरेन्द्र सिंह पिता-श्री जग्गनाथ सिंह ग्राम-वकीलगंज पो0-एरौरा थाना-देव जिला-औरंगाबाद सीआरनं0-ई. 5619 / 16	हृदय रोग	₹ 75,000 /-(पचहतर हजार) स्वीकृत।

20/11/14

12	सुकेश्वरी देवी पति-गणेश सहनी ग्राम-फकीरा डीह पो0-थाना-गायघाट जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-126921 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
13	गिरजा देवी पति-स्व. ताराचन्द्र महतो ग्राम-गोड़ियर पूरब मो0- गोड़ियर कोठी थाना-टीका पट्टी जिला-पूर्णिया पंजी / ओ0पीडी-119976 / 15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
14	मधु देवी पति-अशोक कुमार ठाकुर ग्राम+पो0-गोरगामा थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-120375 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
15	कौशल कुमार गुप्ता पिता-राम श्रेष्ठ साह ग्राम-सबलपुर हस्ती टोला पो0-थाना-सोनपुर जिला-सारण सीआरनं0-122209 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
16	बटोरन साह पिता-सोने लाल साह ग्राम- धुसमुरी पो0-धुसमुरी विशनुपर थाना-मुफसिल जिला-खगड़िया सीआरनं0-50295 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
17	अरुण दास पिता-गोविन्द दास ग्राम-बड़का करासन पो0-मैगरा थाना-इमामगंज जिला-गया सीआरनं0-120777 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
18	शकुन्तला देवी पति-स्व0 राम बहादुर तिवारी ग्राम-श्रीपुर पो0-एकडरी थाना-छौड़ादानो जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-98954 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

21/11/2018

19	श्याम साह पिता-स्व. बालकृष्ण साह ग्राम-पोखराम वार्ड 3 पो0-पोखराम थाना-मुरलीगंज जिला-मधेपुरा सीआरनं0-40377 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
20	सादीका खातुन पति-मो0 असलीम ग्राम-लाल कोठी, दानापुर कैंट पो0+थाना-दानापुर जिला-पटना सीआरनं0-127486 / 16	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
21	इन्दु कुमारी पति-अनिल कुमार ग्राम-कुतलपुर पो0-बारा थाना-वेन जिला-नालंदा सीआरनं0-121152 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
22	सूर्यमाला देवी पति-राम नरेश प्रसाद ग्राम-बड़ी बाजार तलखापुर डुमरा, पो0-डुमरा थाना+जिला-सीतामढ़ी सीआरनं0-62653 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
23	राजेन्द्र पासवान पिता-स्व. दुखन पासवान ग्राम-अमीरगंज धर्मपुर पो0+थाना+जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-126151 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
24	जितेन्द्र कुमार यादव पिता-मेघ वरण यादव ग्राम-तियरा पो0-अखिनी थाना-रामगढ़ जिला-भभुआ, कैमुर सीआरनं0-123378 / 16	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) स्वीकृत।
25	कुंदन कुमार पिता-बन्दे यादव ग्राम-डकरा सत्खजुरीया पो0-हेरू दियारा थाना-नया रामनगर जिला-मुंगेर सीआरनं0-65824 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

श्री VHP  
#19/16

26	जुही खातुन पति-मो. अब्बास ग्राम-रहमतपुर पो0-पीपरा लतीफ थाना-परबता जिला-खगडिया सीआरनं0-117690 / 16	हृदय रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
27	राज कुमार दास पिता-स्व. नंदु दास ग्राम-केशो पट्टी पो0-मुक्तापुर थाना-कल्याणपुर जिला-समस्तीपुर पंजी / ओ0पीडी-020437 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
28	लक्ष्मीनीयां देवी पति-सुरेश मिस्त्री ग्राम-थाली बाजार पो0-सुघडी थाना-गोविन्दपुर जिला-नवादा सीआरनं0-122982 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
29	राम प्रसाद राय पिता-स्व नारायण राय ग्राम-पुनौरा पूर्वी पो0-पुनौरा थाना+जिला-सीतामढी सीआरनं0 85082 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
30	पिन्दु यादव पिता-गनौरी यादव ग्राम-गोविन्दपुर पो0-गिद्वौर थाना-झांझा जिला-जमुई सीआरनं0-112837 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
31	बिमल प्रसाद साह पिता-स्व. वासुदेव प्र0 साह ग्राम-जयकृष्णपुर कटहा पो0-बनैली चंपानगर थाना-के0 नगर जिला-पूर्णिया सीआरनं0-96936 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
32	गरीब लाल यादव पिता-वारिस लाल यादव ग्राम-रामदत पट्टी वार्डनं0-8 पो0-नेमुआ थाना+जिला-सुपौल सीआरनं0-93521 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

21/11/18  
2/9/18

33	लुटकुन देवी पति-गंगा राम मुखिया ग्राम-कुल्हरीया पो0-मौवाही थाना-मरौना जिला-सुपौल सीआरनं0-127256 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
34	मनोरमा देवी पति-जितेन्द्र चौधरी ग्राम-तुरकौलीया पो0-राजनडीह थाना-राजपुर जिला-रोहतास पंजी / ओ0पी0डी / 018779 / 16	कैंसर रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
35	जनाई राम पिता-जगन राम ग्राम-मधुमुर पो0-सिरिस थाना-बारुण जिला-औरंगाबाद सीआरनं0-119960 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
36	निशा कुमारी पति-रामचन्द्र कुमार ग्राम-चीनवेरिया पो0-गौरा, थाना-लक्ष्मीपुर जिला-जमुई सीआरनं0-162373 / 15	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
37	शोभा कुमारी पति-शिव कुमार ग्राम-मार्शल बाजार दानापुर कैट, पो0-दानापुर कैट थाना-दानापुर, जिला-पटना सीआरनं0-132868 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
38	विष्णु देव मोदी पिता-लड्डु लाल मोदी ग्राम-पो0-सिंहचक थाना-चानन जिला-लखीसराय सीआरनं0-23366 / 16	कैंसर रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 25,75,000 / -

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 25,75,000/- (पच्चीस लाख पचहतर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 211039.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
6. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।  
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नही किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नही किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...211239.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1318(14)

पटना, दिनांक 07-09-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ श्री राज कुमार राय, स०वि०स० हसनपुर/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
*(Signature)*